Dr. 040818, Dt: 191/0/29 File No.V.11025/14/2015-MEP

F. No.V.11025/14/2015-MEP(FTS No.3074429) Government of India Ministry of Health & Family Welfare Department of Health & Family Welfare MEP Section

Room No. 514, A Wing, Nirman Bhawan, New Delhi - 110001 Dated the 18/10/2022

To.

The Secretary National Medical Commission, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, New Delhi - 110 077.

Sub: Clarifications regarding recognition of diploma courses offered by CPS, Mumbai reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this Ministry's Notifications of even number dated 17.10.2017 and 22.01.2018 (published on 12.02.2018), whereby Ministry first added and then deleted 36 postgraduate degree/diploma qualifications of College of Physicians and Surgeons, Bombay from the First & Third Schedule of Indian Medical Council Act, 1956.

- In this regard, it is stated that this Ministry is in receipt of a representation from a student who took admission in one of those 36 courses after Ministry's Notification dated 17.10.2017 and now facing problem in getting her PG qualification registered.
- The matter has been examined in the Ministry and it has been found that there are total 466 students (List enclosed), who are facing problems in this issue. Therefore, keeping in minds the future of the students, it is decided and clarified that these qualifications stand recognized for those students who had taken admission between 17.10.2017 and 12.02.2018 (both date inclusive).
- You are, therefore, requested to give this a wide publicity so that the students 4. concerned could get benefit of the decision of the Govt. of India.

Yours faithfully,

Encl: As above

Digitally Signed by Sunil Kumar Gupta

Under Secretary to Government of India

Telephone: 23061986

herident, Primes & DS, PAMES

for uploading and publicaty.

15/10/122

15/10/122

15/10/122

15/10/122

15/10/122

15/10/122



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 552] No. 552] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2018/माघ 23, 1939

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2018/MAGHA 23, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2018

का.आ. 631(अ).— भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्;

आईएमसी अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची में, 'कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई' शीर्षक के अंतर्गत 'मान्यता प्राप्त मेडिकल योग्यता' शीर्षक में दर्शाई गई प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा:

नेत्र चिकित्सा एवं सर्जरी में डिप्लोमा (डीओएमएस)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे
	कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर
	2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
त्वचा विज्ञान और रतिजरोग (डीडीवी) में डिप्लोमा	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे
	कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर
	2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
संज्ञाहरण में डिप्लोमा (डीए)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे
	कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर
	2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।

828 GI/2018 (1)

ओटो-रहिनो-लैरिनगोलॉजी में डिप्लोमा (ईएनटी) (डीओआरएल)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
ऑर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा (डीओआरटीएचओ)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
मनोवैज्ञानिक चिकित्सा (डीपीएम) में डिप्लोमा	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
मेडिकल रेडियोलॉजी और इलेक्ट्रोलॉजी में डिप्लोमा (डीएमआरई)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
क्षयरोग में डिप्लोमा (टीडीडी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
परिवार नियोजन में डिप्लोमा (डीएफपी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
सार्वजिनक स्वास्थ्य में डिप्लोमा (डीपीएच)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में डिप्लोमा (डीटीएम)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
उष्णकटिबंधीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में डिप्लोमा (डीटीएमएच)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
डायाबैटोलोजी में डिप्लोमा (डीडीआईएबी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
जनरल मेडिसिन में डिप्लोमा (डीजीएम)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
जनरल सर्जरी में डिप्लोमा (डीजीएस)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
जनरल सर्जरी में डिप्लोमा (डीएमओ)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।

कार्डियोलॉजी में डिप्लोमा (डीसीएआरडी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
मिनिमल एक्सेस सर्जरी में डिप्लोमा (डीएमएएस)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
गायनोकॉजिकल एंडोस्कोपी में डिप्लोमा (डीजीईएन)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बांझपन और सहायक प्रजनन तकनीक में डिप्लोमा (डीआईएआरटी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
मूत्रविज्ञान में डिप्लोमा (डीयूआरओ)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
इम्यूनोलॉजी में डिप्लोमा (डीआईएमएम)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
गहन चिकित्सा देखभाल में डिप्लोमा (डीआईसीयू)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
न्यूरोलॉजी में डिप्लोमा (डीएनईयू)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
नेफ्रोलॉजी में डिप्लोमा (डीएनईपी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
हैइमैटो कैंसर विज्ञान में डिप्लोमा (डीएचओएन)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बाल चिकित्सा विकलांग में डिप्लोमा (डीपीओआरटीएचओ)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बाल चिकित्सा गहन देखभाल (डीपीआईसीयू) में डिप्लोमा	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बाल चिकित्सा तंत्रिका विज्ञान में डिप्लोमा (डीपीएनईयू)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।

बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजी में डिप्लोमा (डीपीसीएआरडी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे
	कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च
	2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
नियोनैटॉलॉजी में डिप्लोमा (डीएनईओ)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे
	कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च
	2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजी में डिप्लोमा (डीपीएनईपी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे
	कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च
	2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
डिप्लोमा इन लर्निंग डिसएबिलिटी एंड न्यूरो डेवलेपमेंट पैडीआट्रिक्स में	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे
डिप्लोमा (डीएलडीएनपी)	कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च
	2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बाल चिकित्सा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हीपैटोलॉजी और पोषण में डिप्लोमा	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे
(डीपीजीएचएन)	कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च
	2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बाल चिकित्सा मूत्रविज्ञान में डिप्लोमा (डीपीयूआरओ)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे
	कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च
	2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
आपातकालीन चिकित्सा में डिप्लोमा (डीईएमई)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे
	कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च
	2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।

कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित सदस्यता और फैलोशिप पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई (एमसीपीएस) की सदस्यता	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे 30 अप्रैल, 1944 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
मेडिसन में कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई की फैलोशिप (एफसीपीएस मेडि.)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे 30 अप्रैल, 1954 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
पैथोलॉजी में कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई की फैलोशिप [एफसीपीएस (पैथ)]	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे 30 अप्रैल, 1954 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
सर्जरी में कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई [एफसीपीएस (सर्ज.)]	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे 30 अप्रैल, 1954 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
डर्मिटोलॉजी में कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई की फैलोशिप (एफसीपीएस (डर्मि.)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे 30 अप्रैल, 1954 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
मिडवाइफ़री और गायनोकोलॉजी में कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई (एफसीपीएस (मिड. और गायनो.) ऑप्थल्मोलॉजी में कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई की	इस अनुसूची के अंतर्गत यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे केवल इस अनुसूची में उल्लिखित अन्य किसी चिकित्सा योग्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया गया हो।
फेलोशिप [(एफसीपीएस (ओप्थ.)]	

नोट :- (I) सभी दाखिले नीट स्नातकोत्तर और केंद्रीकृत परामर्श के माध्यम से सरकार की नीति के अनुसार समय-समय किए जाने चाहिए। (ii) सीपीएस अर्हता को शिक्षण के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता के रूप में नहीं माना जाएगा।

> [फा.सं.वी.11025/14/2015-एमईपी] अरुण सिंघल, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2018

S.O. 631 (E).—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule of the Act, namely;

In the First Schedule of the IMC Act, 1956, following entries appearing under the main heading 'College of Physicians and Surgeons, Mumbai', the heading 'Recognized Medical Qualifications', shall be deleted:

Diploma in Ophthalmic Medicine & Surgery (DOMS)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Diploma in Dermatology & Venereology	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
(DDV)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Anaesthesia (DA)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Oto-Rhino-Laryngology	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
(ENT) (DORL)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Orthopaedics(DORTHO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Psychological	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
Medicine(DPM)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Medical Radiology &	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
Electrology(DMRE)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Tuberculosis Diseases(TDD)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Family Planning(DFP)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Public Health(DPH)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Transfusion Medicine(DTM)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Tropical Medicine & Health	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
(DTMH)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Diabetology(DDIAB)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in General Medicine(DGM)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in General Surgery(DGS)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of

	DI
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in medical Oncology(DMO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Cardiology(DCARD)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Minimal Access Surgery	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
(DMAS)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Gynaecological Endoscopy	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
(DGEN)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Infertility & Assisted	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
Reproductive Technique (DIART)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Urology (DURO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Immunology (DIMM)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Intensive Care (DICU	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Neurology (DNEU)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
r	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Nephrology (DNEP)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Haemato Oncology (DHON)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
Diploma in Timenance enteriogy (Differt)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Paediatric Orthopaedics	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
(DPORTHO)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Paediatric Intensive Care	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
(DPICU)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Paediatric Neurology	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
(DPNEU)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in paediatric Cardiology	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
(DPCARD)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Neonatology (DNEO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
Diploma in reconatology (DivLo)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Paediatric Nephrology	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
(DPNEP) Diploma in Learning Disability & Neuro	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
Developmental Paediatrics (DLDNP)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012. This shall be recognised medical qualification when granted by College of
Diploma in Paediatric Gastroenterology,	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
Hepatology & Nutrition(DPGHN)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Paediatric Urology (DPURO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
Distance in Engage M. P.	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Emergency Medicine	This shall be recognised medical qualification when granted by College of
(DEME)	Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.

The following Membership and Fellowship courses granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai shall be inserted, namely: -

Membership of College of Physicians and Surgeons,	This qualification shall be a recognized medical
Mumbai (MCPS)	qualification only when granted after the 30 th April, 1944
Fellowship of the College of Physicians and Surgeons,	This qualification shall be a recognized medical
Mumbai in Medicine (FCPS (Med.))	qualification only when granted after the 30 th April, 1954
Fellowship of the College of Physicians and Surgeons,	This qualification shall be a recognized medical
Mumbai in Pathology (FCPS (Path.))	qualification only when granted after the 30 th April, 1954

Fellowship of the College of Physicians and Surgeons,	This qualification shall be a recognized medical
Mumbai in Surgery (FCPS (Surg.))	qualification only when granted after the 30 th April, 1954
Fellowship of the College of Physicians and Surgeons,	This qualification shall be a recognized medical
Mumbai in Dermatology (FCPS (Derm.))	qualification only when granted after the 30 th April, 1954
Fellowship of the College of Physicians and Surgeons,	These qualifications shall be recognized medical
Mumbai in Midwifery and Gynaecology (FCPS (Mid. &	qualifications under this schedule only when they are held
Gyn.))	by persons holding any other medical qualification
Fellowship of the College of Physicians and Surgeons,	specified in this Schedule.
Mumbai in Ophthalmology (FCPS (Opth.))	

Note: - (i) All the admissions should be through NEET PG and centralized counselling and as per Government policy from time to time.

(ii) The CPS qualifications shall not be treated as a recognized medical qualification for the purpose of teaching.

[F.No. V.11025/14/2015-MEP]

ARUN SINGHAL, Jt. Secy.